



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

दिनांक: 14.02.2023

सार्वजनिक सूचना
(2023 का 01)

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने दिनांक 02 फरवरी, 2023 को आयोजित 35वीं बैठक में पीपीवी और एफआर नियम, 2003 के नियम 29(9) के तहत निम्नलिखित फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को आगामी पीवीजे में प्रकाशित करने की मंजूरी दी है:-

क्र.सं.	फसल प्रजातियों के नाम	पौधा किस्म जर्नल में प्रकाशित
1.	सागौन (टेक्टोना गैंडिस एल. एफ.)	मार्च, 2023
2.	कालाजीरा [बुनियम पर्सिकम (बायोस.) फेडट्स]	मार्च, 2023
3.	केसर (क्रोकस सेटिवस एल.)	मार्च, 2023
4.	सेम (लैबलैब परप्यूरियस (एल.) स्वी ट)	मार्च, 2023
5.	सफेद कद्दू (बेनिनकासा हिस्पिडा (थूनब.) कॉग्न.)	मार्च, 2023
6.	चिचिण्डा (ट्राइकोसैथेस एंगुइना एल.)	मार्च, 2023
7.	कुंदरू (कोकिनिया गैंडिस (एल.)	मार्च, 2023

-हस्ताक्षरित-
(डी.के. अग्रवाल)
महापंजीकार